बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

निर्वाचन/अत्यावश्यक

फैक्स/ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

दिनांकः– 22.07.2015 को आर०लक्ष्मणन्, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना की अध्यक्षता में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

श्री ओ०पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से प्राप्त पत्र एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के निदेश के आलोक में 5:00 बजे अप० में इस संस्था के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें मूल रूप से आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान प्रेस नोट के बाद लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान व्यवसायियों के द्वारा नगद राशि लेकर चलने के क्रम में होने वाली समस्याओं एवं उसके समाधान पर विचार विमर्श किया गया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों द्वारा बतलाया गया कि उनके स्तर से एक अभ्यावेदन भारत निर्वाचन आयोग को विचार करने हेतु भेजा गया था, जिसमें विस्तार से निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान व्यवसायियों को होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया था। उसी संदर्भ में विचार विमर्श कर प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पुनः संस्था इस कार्यालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नगद राशि की जब्ती के संदर्भ में पूर्व से निर्गत दिशा निदेशों को संशोधित करते हुए Standard Operating Procedures (SOPs) जारी किया गया है, जो पत्र संख्या 76/अनुदेश/EEPS/2015/Vol-II दिनांक 29.05.2015 द्वारा निर्गत है। इस पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को संबोधित पत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है। इस कार्यालय के स्तर से भी सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी, आयकर विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को भारत निर्वाचन आयोग के पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे प्राप्त निदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक/पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में भी आयोग के निदेशों को विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए उनका अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की सूचना उन्हे किसी भी जिले से प्राप्त होती है तो वे संबंधित जिला के टॉल–फ्री नंम्बर पर अथवा निर्वाचन व्यय के नोडल पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके सूचना सीधे इस कार्यालय में भी कर सकते है। इस संदर्भ में संस्था से भी सहयोग/सुझाव की अपेक्षा की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान काला धन के उपयोग को रोकने हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जिसमें संस्था का भी पूर्ण सहयोग अपेक्षित होगा ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने में सफलता प्राप्त हो सके।

(आर०लक्ष्मणन)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।